न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.–83/2019 दिनांक–14.11.19

सरकार बनाम राधेश्याम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72,399/0.19,400/0.05 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता व सिवायचक मेंसे क्रमशः 0. 03,0.19,0.05 है0 पर राधेश्याम,कृष्ण पुत्रान उमराव जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत स्त्? ।ब्ज 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायलान के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैरसायलान राधेश्याम,कृष्ण पुत्रान उमराव जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72,399/0. 19,400/0.05 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता व सिवायचक मेंसे क्रमशः 0.03,0.19,0.05 है0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः राधेश्याम,कृष्ण पुत्रान उमराव जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72,399/0. 19,400/0.05 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता व सिवायचक मेंसे क्रमशः 0.03,0.19,0.05 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत का हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 8.10 रू का पचास गुणा 405 रू आर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2019-20 ...... के रा० ले० के पृष्ठ संख्या 52 पर 405...... रुपये कायम किये गये ।

21/11/19

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली